



झारखंड राज्य फसल राहत योजना

(अनुलग्नक 3)

आवेदक किसान (गैर रैयत) द्वारा रैयत के भूमि पर कृषि कार्य हेतु सहमति पत्र

यह सहमति पत्र दिनांकमाह वर्ष को ग्राम/प्रखंडमें श्री/श्रीमति /सुश्री, आयु, पिता /पति....., ग्राम....., पो0, प्रखंड जिला, राज्य, (जिन्हे झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत रैयत कहा गया है एवं जो इस अभिलेख के प्रथम पक्षकार हैं),

तथा

श्री/श्रीमति /सुश्री, आयु, पिता /पति....., ग्राम....., पो0, प्रखंड जिला, राज्य, (जिन्हे झारखंड राज्य फसल योजना के अंतर्गत गैर रैयत कहा गया है एवं जो इस अभिलेख के द्वितीय पक्षकार हैं), के बीच झारखंड राज्य फसल राहत योजना के प्रयोजन हेतु निम्न अनुसार निष्पादित किया गया।

जहाँ, रैयत जिला, अंचल, मौजा, हल्का संख्या, वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या, के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि जिसका रकबा एकड़ डिसमिल है के वैध भूस्वामी / उत्तराधिकारी हैं।

जहाँ, गैर रैयत द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि के रकबा एकड़ डिसमिल पर कृषि कार्य हेतु रैयत के पास इच्छा अभिव्यक्त की गई है एवं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाना है।

जहाँ, रैयत के द्वारा गैर रैयत को उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य हेतु निम्न शर्तों पर सहमति प्रदान किया जाता है,

1. यह सहमति पत्र केवल झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु एक फसल मौसम (खरीफ, वर्ष 2022-23) हेतु लागू होगा।
2. गैर रैयत को उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि पर केवल कृषि कार्य करने की सहमति दी जाती है।
3. गैर रैयत उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि को किसी और व्यक्ति को किराए पर नहीं देंगे अथवा अपना सहमति अधिकार स्थानांतरित नहीं करेंगे।
4. गैर रैयत उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेंगे।

यह सहमति पत्र रैयत एवं गैर रैयत द्वारा उपरोक्त शर्तों के अधीन बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के एवं स्वयं की इच्छा और सहमति से गवाहों के सामने दिनांकको हस्ताक्षरित किया गया।

गवाहों के हस्ताक्षर

1. रैयत का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

2. गैर रैयत का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान